निपटारा किया तथा उनके पास सीमा-ज्ञान का कोई मामला निस्तारण से शेष नहीं रहना चाहिए।

तहसील कार्यालय

तहसीलदारों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार

1 (A) राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त

काश्तकार द्वारा एल.आर. नियम 28 के अनुसार तहसील में निर्धारित शुल्क जमा कराकर राजस्व अभिलेखों की नकल निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है।

नाम अभिलेख	परिमाप	एल.आर.नियम 28 के अनुसार शुल्क व निर्धारित अवधि		विशेष
		निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	
1. जमाबन्दी चौसाला (पी-26)	10 ख.नं. तक प्रत्येक 10 ख.नं.या उसके भाग के लिए	10.00 रू. 5.00 रू.	3 दिवस	1. नक्शा ट्रेस राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. खसरा चौसाला (पी-13)	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रू.	3 दिवस	
3. नक्शा ट्रेस	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	20.00 रू.	3 दिवस	
4. खसरा परिवर्तनशील (पी-14)	प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10.00 रू.	3 दिवस	
5. नामान्तरण (पी-21)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रू.	3 दिवस	
6. ढांल- बांछ (पी-30) सियाहा (पी-32) जमाबन्दी परिवर्तनशील (पी-25)	प्रत्येक 10 प्रविष्टियों या उसके भाग के लिए	10.00 रू.	3 दिवस	

नाम अभिलेख	परिमाप	एल.आर.नियम 28 के अनुसार शुल्क व निर्धारित अवधि		विशेष
		निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	
7. प्रतिदिन की डायरी	किसी भी एक दिन में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के लिए	20.00 रू.	3 दिवस	
8. अर्ज ईरसाल (पी-34) रसीद (पी-33)	प्रत्येक प्रारूप के लिए	20.00 रू.	3 दिवस	

नोट :- जिन अभिलेखों की फीस उपर नहीं दी गई, उसकी प्रतिलिपि फीसी वही होगी जो खसरा की है।

1 (B) तहसील "अपना खाता केन्द्र" से जमाबन्दी की कम्प्युटरीकृत प्रतिलिपि जारी करना

नाम अभिलेख	परिमाप	निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	विशेष
जमाबन्दी चौसाला (पी-26)	10 ख.नं. तक प्रत्येक 10 ख.नं या उसके भाग के लिए	10/- रू. 5/- रू.	जमाबन्दी की प्रतिलिपि 01 दिन में आवेदक को उपलब्ध करवाई जावेगी।	आवेदन पत्र तहसीलदार/ अपना खाता केन्द्र को प्रस्तुत किया जावेगा।

2. रास्तों में विवाद

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत रास्तों के वादों के निस्तारण हेतु संबंधित काश्तकार द्वारा तहसीलदार को आवेदन करना होगा। इन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार से अपनाई जाएगी।

कार्य	अविध	निर्धारित शुल्क
1. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार इसे रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा संबंधित पंचायत को निस्तारण हेतु भेजेगा।	3 दिवस	2.00 कोर्ट फीस प्रार्थना पत्र पर लगेगी।
2. पंचायत, तहसील से प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करेगी तथा इसका निस्तारण करेगी।	30 दिवस	
3. पंचायत द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करने पर इसका निस्तारण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा।	30 दिवस	

3. सीमा ज्ञान

काश्तकार अपने खेत का सीमाकंन/सर्वेक्षण हेतु एल.आर. नियम 34 के अनुसार तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते है। तहसीलदार को आवेदन करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कार्य	निस्तारण हेतु निर्धारित समय		शुल्क		विषय
	स्तर	समय	क्षेत्रफल	शुल्क	
एल.आर. नियम 34 के अनुसार काश्तकार अपने खेत के सीमाकंन हेतु संबंधित तहसीलदार को आवेदन को आवेदन कर सकता है।	1. तहसील स्तर पर कार्यवाही कर पटवारी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आदेश देना। 2. पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करवा -कर रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करना।	उसी दिन सामान्यता 7 दिवस अधिकतम 15 दिन	5 एकड (2.5 हैक्टेयर) तक 5 एकड (2.5 हैक्टेयर) से अधिक किन्तु 10 एकड (5 हैक्टेयर) तक 10 एकड (5 हैक्टेयर) से अधिक	50.00 रू. 100.00 रू. 200.00 रू.	1. सीमा ज्ञान के आवेदन तहसील में वर्ष भर प्राप्त किए जा सकते है। 2. सीमा ज्ञान हेतु आवेदन पटवारी को भी किया जा सकता है।

नोट :- यदि फिर भी सीमा ज्ञान के मामले बकाया रह जाते है, तो संबंधित भू.अ.नि./पटवारी माह मई/जून में अभियान के तौर पर निपटायेंगे तथा उनके पास सीमा-ज्ञान का कोई मसला निस्तारण से शेष नहीं रहना चाहिए।

4. नामान्तरण

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अन्तर्गत रास्तों के वादों के निस्तारण हेतु संबंधित काश्तकार द्वारा तहसीलदार को आवेदन करना होगा। इन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार से अपनाई जाएगी।

कार्य	अविध	निर्धारित शुल्क
एल.आर.एक्ट की धारा 135 2 के अनुसार आवंटन के पश्चावर्ती या न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के संबंध में नामान्तरण खोलने हेतु तहसीलदार को आवेदन करना होगा।	आदेश प्राप्त होने से दिन से एक सप्ताह	10.00 रू. प्रति खाता
पटवारी द्वारा नामान्तरण खोलकर व निरीक्षक द्वारा जांच करवाकर इसे निर्णीत करवाने हेतु तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा।	10 दिन 20 दिन	
कुल समयावधि	30 दिन	

5. जोत विभाजन

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार सह-खातेदार आपसी सहमति से अपनी जोतों के विभाजन हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इसका निस्तारण निम्न प्रकार किया जाएगा।

कार्य	निस्तारण अविध	निर्धारित शुल्क
सह-खातेदार अपनी जोत के विभाजन के लिये सह-खातेदारों के बीच हुए करार को तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। करार के अनुसार तहसीलदार को जोत का विभाजन करना होगा।	1 माह (प्रस्तुत करने के दिन से)	2.00 रू. प्रति खाता

6. वृक्षों की कटाई

स्वयं काश्तकार के उपयोग में लाने हेतु अपने खेतों से हरे वृक्ष उन्हें काटने की अनुमति संबंधित तहसीलदार को आवेदन देकर लेनी चाहिए। इसके साथ-साथ काश्तकार को प्रत्येक हटाए गए वृक्ष की एवज में दो वृक्ष लगाना अनिवार्य है।

कार्य	निस्तारण अविध	निर्धारित शुल्क
देशी, बबूल, विलायती बबूल, सूबबूल, आदि वृक्षों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता तो नहीं है परन्तु ऐसे मामलों में 15 वृक्ष हटाने की अनुमति हेतु तहसीलदार को आवेदन करना होगा।	उसी दिन (एक सप्ताह अधिकतम)	अनुज्ञा के लिए प्रति वृक्ष 10.00 रू. या प्रति एकड 10.00 रू.दोनों में जो भी अधिक हो जमा कराना होगा।

7. शुद्धि-पत्र

खातेदार/गैर खातेदार जिसके खाते में लिपिकीय भूल से अशुद्धि हो गई है, वह भू.अ. नियमावली, 1957 के नियम 166 के अनतर्गत साधारण कागज पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकता है।

कार्य	आवेदन किस प्रकार किया जाए	निस्तारण अविध	निर्धारित शुल्क
एल.आर. नियम 166 के अनुसार खाते में लिपिकीय भूल शुद्ध करवाना	आवेदन साधारण कागज पर मय जमाबन्दी की नकल जिसमें खाता शुद्ध करवाना है, के साथ किया जाए। आवेदक अपना पूर्ण पता भी लिखें।	ना.तह./तहसीलदार द्वारा इसका 1 माह में निस्तारण किया जाकर खाते में शुद्धि की जाएगी।	2.00 रू. कोर्ट फीस

8(A). गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना (नोन कमाण्ड क्षेत्र)

प्रत्येक गैर खातेदार जिसको भूमि आवंटन हुए 3 वर्ष हो गए हों तथा आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना की गई है, तो वह साधारण कागज पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है।

कार्य	आवदेन किस प्रकार किया जाए	निस्तारण अविध	निर्धारित शुल्क
प्रत्येक गैर खातेदार भूमि आवंटन के 3 वर्ष के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है।	आवेदन साधारण कागज मय ख. नं. नाम ग्राम व आवंटन पट्टे की छाया-प्रति संलग्न कर करेगा। आवेदन पत्र में वह अपना नाम व पता लिखे।	1 माह	2.00 रू. कोर्ट फीस

नोट :- तहसीलदार स्व:प्रेरणा से आवंटन के 3 वर्ष पश्चात आवंटी द्वारा शर्तों की पालना कर लेने की स्थिति में खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर सकेगा।

8(B). राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) में आवंटित भूमि के निरस्तीकरण की कार्यवाही)

कार्य	आवदेन किस प्रकार किया जाए	निस्तारण अविध	निर्धारित शुल्क
कोई भी व्यक्ति किसी भी आवंटन को निरस्त करवाने के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो अथवा आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया गया हो।	आवेदन साधारण कागज पर किया जावेगा, जिसके साथ आवंटन आदेश, जमाबन्दी खाता, खसरा गिरदावरी की प्रतिलिपि (आवंटन वर्ष के पश्चात की) संलग्न की जावेगी।	अवधि निर्धारित नहीं।	2.00 रू. कोर्ट फीस

9. बैंको आदि से ऋण प्राप्त करने हेतु अदेय प्रमाण-पत्र जारी करना।

कोई भी काश्तकार यदि ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो इन संस्थाओं की मांग के अनुसार अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य	आवदेन किस प्रकार किया जाए	निर्धारित अवधि
कोई भी काश्तकार बैंको आदि से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए अदेय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।	आवेदन साधारण कागज पर मय जमाबन्दी की नकल व पटवारी की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।	तहसील में अभिलेख की जांच कर उसी दिन प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

10. भूमि रूपान्तरण

(iii)राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007) :-

भूमि रूपान्तरण का प्रयोजन	आवेदन करना	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क / नि:शुल्क	समयावधि
(अ) आवासीय प्रयोजन	संबंधित तहसीलदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	500 वर्ग मीटर तक	5 रुपये प्रतिवर्ग मीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी.रेट का 5 प्रतिशत इन में से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है। तहसीलदार द्वारा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर प्रकरण अग्रिम प्राधिकारी (SDO) को भेजेगा।

नोट :- कोई खातेदार अभिधारी 500 वर्गमीटर क्षेत्र पर निवास गृह (dwelling house) पशुगृह (Cattle Shed) या भण्डार गृह (Store house) बनाने के लिए अपनी कृत्रिम जोत को कोई प्रीमियम दिए बिना (अर्थात नि:शुल्क) संपरिवर्तन कराने का हकदार होगा। इस प्रकार संपरिवर्तन क्षेत्र उसकी खातेदारी अभिधृति में बना रहेगा।

11. विभिन्न प्रमाण - पत्र

वृद्धावस्था/विकलांक/विधवा पेंशन, जाति प्रमाण-पत्र/मूल निवास पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उक्त प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार से जारी किए जायेंगे।

कार्य	आवदेन किस प्रकार किया जाए	निस्तारण अविध	निर्धारित शुल्क
1. वृद्धावस्था/ विधवा व विकलांग पेंशन हेतु	पात्र व्यक्ति पंचायत/पटवारी/तहसील में मय फोटो के आवेदन कर सकता है। पटवारी हल्का अपनी जांच के साथ रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को सौंपेगा।	नि:शुल्क	15 दिवस
2. जाति प्रमाण-पत्र	इस हेतु आवेदन तहसील कार्यालय में अथवा सीधे ही आवेदन पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट करवाकर आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।	2.00 (कोर्ट फीस)	1. पटवारी 3 दिन में जांच कर आवेदन पत्र तहसीलदार को भेजेगा। 2. तहसीलदार ऐसे आवेदन पत्रों पर उसी दिन प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। 3. तहसील में आवेदन प्राप्त होने पर 7 दिन में आवश्यक रूप से प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा
3. मूल निवास प्रमाण-पत्र	जिला दण्डनायक, उप जिला दण्डनायक, ए.सी.एम. व स्वयं तहसीलदार के समक्ष आवेदन करने पर उसकी जांच हेतु संबंधित पटवारी को भेजा जाएगा। तहसीलदार स्वयं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत होने से मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करेगा।	2.00 (कोर्ट फीस)	7 दिवस
4. हैसियत प्रमाण-पत्र	आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। तहसीदार इस संदर्भ में आवश्यक जांच करवाकर नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।	2.00 (कोर्ट फीस)	7 दिवस

शिकायत कहाँ की जाए -

तहसील स्तर पर उपरोक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में सम्पादित नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। उपखण्ड अधिकारी प्राप्त शिकायत को दर्ज रजिस्टर कर इनका निस्तारण 15 दिवस में करेगा तथा संबंधित शिकायतकर्ता को लिखित में सूचित करेगा। आवश्यक होने पर तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

(उपखण्ड अधिकारी के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार)

1. राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजना के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	**आवासीय प्रयोजनार्थ :** आवासीय संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा	2500 वर्ग मीटर तक	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	एस.डी.ओ. द्वारा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर प्रकरण अग्रिम प्राधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।
2.	**वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ :** संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	500 वर्ग मीटर तक (सिनेमा, पेट्रोल पम्प, एक्सप्लोजिव मेग्जीनस, मल्टीप्लेक्स, होटल, रिसोर्ट शामिल नहीं हैं)	रूपये 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	एस.डी.ओ. द्वारा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर प्रकरण अग्रिम प्राधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।
3.	**औद्योगिक प्रयोजनार्थ :** संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	1 हैक्टेयर तक (टूरिज्म यूनिट शामिल नहीं है)	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	एस.डी.ओ. द्वारा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर प्रकरण अग्रिम प्राधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।
4.	**नमक विनिर्माण प्रयोजनार्थ :** संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	20 हैक्टेयर तक	रूपये 0.5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 0.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	एस.डी.ओ. द्वारा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर प्रकरण अग्रिम प्राधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।
5.	**लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ :** संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	400 वर्ग मीटर तक	10000 वर्गमीटर कोई प्रिमियम राशि देय नहीं है, लेकिन 10000 वर्गमीटर से अधिक पर रुपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	एस.डी.ओ. द्वारा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर प्रकरण अग्रिम प्राधिकारी (कलेक्टर) को भेजेगा।

2. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र

कार्य का प्रकार	निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया	नि:शुल्क	समयावधि
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र	जन्म या मृत्यु की सूचना मौखिक अथवा लिखित रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थायी निकाय को एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव, ग्राम पंचायत को अवगत करवाने पर।	नि:शुल्क 1 रूपया	घटना के दिन से 21 दिन तक घटना के दिन से दिन 22 से 30 दिन तक
	शहरी क्षेत्र के लिये जिला सांख्यिकी अधिकारों की पूर्वानुमति से शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये विकास अधिकारी की पूर्वानुमति से सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा।	1 रूपये	घटना के दिन से 31 दिन से 1 वर्ष तक
	संबंधित के द्वारा आवेदन करने पर 10/- रुपये शपथ पत्र एवं दो पडौसियों के बयान के साथ शहरी क्षेत्रों के लिये सिटी मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपखण्ड अधिकारी अधिकृत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर शहरी क्षेत्रों में आयुक्त संबंधित निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार से जांच करवाने के उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।	संबंधित निकायों/ ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्धारित शुल्क पर।	घटना के दिन से 1 वर्ष पश्चात कभी भी।

3. आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत

कार्य का प्रकार	निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया	नि:शुल्क	समयावधि
टोपीदार बन्दूक के लिये उपखण्ड अधिकारी द्वारा लाईसेन्स का 3 वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जाता है। आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर शस्त्र का अवलोकन कर शुल्क जमा करवाकर नवीनीकरण किया जाता है।	कोई मापदण्ड नहीं	5 रुपये प्रति वर्ष	3 दिवस

नोट :- लाईसेन्स अधिकारी द्वारा टोपीदार बन्दूक के लाईसेन्स नवीनीकरण से पूर्व लाईसेन्सधारी के आचरण की जांच संबंधित थानाधिकारी से करवायी जायेगी।

4. नाम परिवर्तन करवाना

कार्य का प्रकार	निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया	नि:शुल्क	समयावधि
कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम परिवर्तन करवाना चाहता है, तो उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति नहीं आने पर शपथ पत्र प्रमाणित कर आवेदन कर दिया जावेगा।	आवेदक को राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में अपने नाम परिवर्तन करने संबंधी सूचना का प्रकाशन करवा कर उसकी एक प्रति एवं 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय शपथ पत्र की छाया प्रति के प्रस्तुत करना होगा।	2 रूपये कोर्ट फीस	समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी होने की तिथि या आवेदन की तिथि से 1 माह। जो भी तिथि बाद की हो